न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ील संख्या : 16/490

प्रदीप उर्फ दीपू दत्तक पुत्र गोपाल जाति माली निवासी ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. पंसूरी पुत्री गोपाल जाति माली निवासी ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
2. गोपाल पुत्र कान्हा जाति माली निवासी ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. द्वारक्या पुत्री गापेाल जाति माली निवासी ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. मनभर बाई पुत्री गोपाल जाति माली निवासी ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
5. भूली बाई पुत्री गोपाल जाति माली निवासी ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा
6. संतोष पुत्री गोपाल जाति माली निवासी ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 16/515

गोपाल पुत्र कान्हा जाति माली आयु 76 वर्ष निवीस खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

---अपीलान्ट

बनाम

1. पंसूरी पुत्री गोपाल जाति माली निवासी ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
2. प्रदीप उर्फ दीपू दत्तक पुत्र गोपाल जाति माली निवासी ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. द्वारक्या पुत्री गापेाल जाति माली निवासी ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. मनभर बाई पुत्री गोपाल जाति माली निवासी ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
5. फूली बाई पुत्री गोपाल जाति माली निवासी ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
6. संतोष पुत्री गोपाल जाति माली निवासी ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपील संख्या 16/490 में अपीलान्ट की ओर से एवं अपील संख्या 16/515 में रेस्पोडेन्ट कम 2 की ओर से ।
2. श्री बनवारी लाल मीणा, अभिभाषक, अपील संख्या 16/515 में अपीलान्ट की ओर से ।
3. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से दोनों अपीलों में ।
4. श्री रामचरण मीणा, अभिभाषक, दोनों अपीलों में रेस्पोडेन्ट की ओर से।

दिनांकः 15.05.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.09.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने से तथा समान पक्षकार होने से तथा एक ही वादग्रस्त आराजी होने से उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 पंसूरी ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा में आराजी खसरा नम्बर 1362/87 रकबा 0.77 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है जो वादी के पिता प्रतिवादी कम 1 को उनकी पिता स्व0 कान्हा जी की मृत्यु के बाद विरासत में प्रापत हुई है । उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होने से प्रार्थी सहकृषक होने के कारण विवादित आराजी में प्रार्थी का 1/7 हिस्सा अप्रार्थी कम 1 से 6 का 1/7 – 1/7 हिस्सा निहित है । अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । अप्रार्थी उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बेचान करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार भी प्राप्त नहीं है । यदि दौराने वाद उक्त भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ।

4. अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के 1/7 हिस्से में प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजी को विधिवत विभाजन नहीं होने तक रहन, बेचान दान या किसी प्रकार से हस्तान्तरित, खुर्द–बुर्द नहीं करें ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.09.2016 के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रार्थी के 1/6 सहदायिक हिस्से से मूल वाद के निस्तारण तक उसे बेदखल नहीं करने, उक्त भूमि को रहन, बेचान नहीं करने

या प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.09.2016 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. उक्त दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपील संख्या 16/490 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट कम 2 ने रेस्पोडेन्ट कम 1 से जाति रिति रस्म रिवाज के अनुसार गोद पुत्र रखा था अपीलान्ट को बाल्यावस्था में ही गोद लिया था । अपीलान्ट बहैसियत गोदपुत्र रेस्पोडेन्ट कम 1 के साथ निवासी करता था । विवादित भूमि में अपीलान्ट दत्तक पुत्र होने से 1/7 हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है । अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 3 से 6 के पिात का नाम गोपाल है और अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा अपने टाईटल में भी गोपाल ही अंकित किया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम कान्हा अंकित कर दिया जो दुरूस्त किये जाने योगय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.09.2016 निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को ताफैसला वाद रहन, बेचान, दान या अन्यत्र हस्तान्तरित व खुर्द–बुर्द नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड में यथास्थिति बनाये रखें तथा उक्त आराजी में अपीलान्ट के कब्जे काश्त की भूमि 1/7 हिस्से में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

9. अपील संख्या 16/515 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति नहीं है और पैतृक सम्पत्ति होने के सम्बन्ध में पत्रावली में कोई दस्तावेज नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्डेड खातेदार को पाबन्द करने में भी गंभीर त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट के जीवित रहते हुए शादी शुदा पुत्रियों का कोई हक व अधिकार नहीं होता है क्योंकि सहदायिगी व हिन्दू परिवार की सदस्यता नहीं मानी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्डेड खातेदार को पाबन्द करने में त्रुटि की है क्योंकि रिकॉर्डेड खातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.09.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट कम 1 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी उसका हक हिस्सा निहित है जिसका वह विधिवत विभाजन कराने की अधिकारी है । वादग्रस्त आराजी को यदि दौराने वाद अप्रार्थी अपीलान्ट द्वारा रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर दिया तो प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 को अपूर्णीय क्षति होगी और उसका वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.09.2016 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट कम 1 पंसूरी ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है ।

12. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अपना हिस्सा होना बताया है और यदि दौराने वाद उक्त भूमि को यदि अप्रार्थी अपीलान्ट द्वारा रहन, बेचान या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर दिया तो प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं होगी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

13. चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के समय होगा । अभी अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की स्टेज पर हमे केवल इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसके पक्ष में । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अपना हिस्सा होना बताया है और यदि दौराने वाद उक्त भूमि को अप्रार्थीगण /अपीलान्ट द्वारा रहन, बेचान या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर दिया जो प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 16/490 एवं अपील संख्या 16/515 दोनों खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.09.2016 निरस्त बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा